Dr. Vinod Baitha
Deptt of Economics
Marwari college
Darbhanga

आयात निर्यात नीति

Lecture-26

निर्यात तथा आयात से सम्बंधित नीति को सामान्यतया व्यापारिक नीति कहा जाता है, वास्तव में यह विदेशी व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप के अंश से सम्बंधित है। विदेश व्यापार की नीति के दो स्वरूप हो सकते है ① संरक्षण प्रधान व्यापारिक नीति २ स्वतंत्र व्यापार नीति। संरक्षण प्रधान व्यापारिक नीति वह नीति है जिसमे सरकार प्रतिबंध नीति अपनाती है जिसमे विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता से घरेलु उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। स्वतंत्र व्यापार नीति वह व्यापारिक नीति है जिसमे विभिन्न देशों से होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात-तथा निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग चार दशक तथा व्यापार नीति संरक्षण और नियमन की रही है। तटकर आयोग 1949 में अपनी रिपोर्ट 1950 में सुझाव दिया की प्रतिरक्षा और सौनिक महत्व के उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इस आयोग की सिफारिसों के अनुसार 1952 में एक स्थायी तटकर आयोग गठित किया गया। तटकर आयोग आयात-निर्यात शुल्कों राशिपातन और उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के विकल्पों पर सुझाव देता रहा है तदनुसार संरक्षण नीति आयात- निर्यात शुल्कों, आयात अभ्यंशों और प्रतिबंधों के माध्यम से लागु की जाती रही है। आयात - निर्यात एवं आयात नीति एवं निर्यात विधि भारत की व्यापार नीति के दो पक्ष है।

भारत की आयात नीति

आयात नीति देश के व्यापार नीति का अंग है योजना काल में यद्यपि समय-समय आयात प्रतिक्रिया को उदार बनाया गया है। परन्तु व्यापक आधार पर देश की आयात नीति आयात प्रतिस्थापन और आयात प्रतिबंध की रही है। आयात नीति का मार्गदर्शी सिद्धान्त विकास प्रेरित नीति को बढ़ावा देना था। ताकि देश आत्म निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस नीति के मुख्य लक्षण निम्नलिखित थे।

1. विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए जहाँ तक हो सके, कम से कम आयात करना चाहिए।
2. आयात का स्वरूप इस प्रकार बदलना चाहिए की इससे निर्यात प्रोत्साहन त्वरित किया जा सके इसका उद्देश्य अंततः भुगतान शेष की प्रतिकूल स्थिति को सुधारना है।
3. ऐसी वस्तुओं के आयात को बढ़ावा देना चाहिए जिनसे अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण में सहायता मिले और ऐसी वस्तुओं का आयात जो देश में भी उत्पन्न किया जा सके। या पूर्णतया बन्द कर देना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

प्रारंभिक आयात नीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है।

I. संरक्षात्मक आयात नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क माध्यम प्रयुक्त किये गये भारत में प्रशुल्क माध्यमों के अन्तर्गत आयातों पर सीमा शुल्क लगाए गए आधारित सीमा शुल्क मूल्यानुसार 0-300 प्रतिशत तक रहे।

II. भारत में विभिन्न आयातो पर लगाए गए सीमा शुल्क का सामान्यीकरण यद्यपि कठिन है यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत में सीमा शुल्क की दरे अत्यन्त ऊँची रही हैं। कई अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी वस्तुओं, उपभोक्ताओं वस्तुओं और माध्यमिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क की दरे भारत में अत्यन्त नीची रही है।

III. संरक्षण के गैर प्रशुल्क माध्यमो में आयात लाईसेंस व्यवस्था वास्तविक प्रयोग की नीति और विशिष्ट अभिकरणों के माध्यम से आयात प्रमुख रहे हैं।

IV. आयात लाईसेंस व्यवस्था में आयातों को उपभोक्ता वस्तु पूँजीगत और माध्यमिक वस्तु नामक वर्गों में विभक्त किया गया।

V. पूँजीगत वस्तुओं को प्रतिबंधित श्रेणी और खुली सामान्य लाईसेंसिंग प्रणाली में रखा गया।

VI. भारत में कई वस्तुओं कुछ विशेष अभिकरणों के माध्यम से मंगवायी जाती है। इन अभिकरणों में इन्डियन आयल कॉरपोरेशन, मिनरल एन्ड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया, मेटल स्क्रेप कॉरपोरेशन मुख्य है उक्त सभी अभिकरण सार्वजनिक क्षेत्र के है।

भारत की निर्यात नीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह आवश्यक था कि किसी औपनिवेशिक शासन काल में कमजोर की गयी भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु विकासोन्मुख नितियाँ बनायी गयी इस परिप्रेक्ष्य में समग्र निर्यातों को प्रोत्साहित करने की रही है।

भारत सरकार की निर्यात नीति को कई चरणों में बाँटा जा सकता है।1952 से 1956 तक की अवधि में निर्यात की ओर ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप परम्परागत निर्यातों में कमी आती गयी। और गैर परम्परागत निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई निर्यात नियंत्रण, घरेलु माँग में वृद्धि तथा निर्यातों पर ऊँची दर पर शुल्क इस अवधि में निम्न स्तर के निर्यातों के महत्वपूर्ण कारण हैं।

1966 में रूपये अवमूल्यन के बाद यह धारणा बनी कि इससे निर्यातों में स्वतः वृद्धि होगी तथा जो कुछ निर्यात रियायतें दी जा रही थी। उन्हें भी कम कर दिया गया है। किन्तु इससे निर्यात में वृद्धि पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा और निर्यात रियायतों को शीघ्र ही पुनः लागू करना पड़ा यह स्थिति 1973 तक चली। 1973 में तेल संकट के बाद इस विषय पर नये सिरे से पुनर्विचार हुआ और यह माना गया कि केवल आयात प्रतिस्थापन से भुगतान शेष की समस्यों का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए निर्यात संवर्द्धन की नितियाँ लागु करने की आवश्यकता है। अतः निर्यातों को व्यापार नीति उच्च प्राथमिकता दी गयी।

कुछ निर्यात प्रोत्साहन नीतियाँ योजना काल में निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए जो विभिन्न प्रावधान किये गए उनका निम्नवत उल्लेख किया जा सकता है

1. निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशुल्क वापसी योजना आरंभ की गयी इसके अनुसार निर्यातकों को घरेलु क्षेत्र से खरीदे गए कच्चे पदार्थो पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त जो अन्य भुगतान किये गए यथा उत्पादन शुल्क बिक्री कर तथा अन्य

Scanned by CamScanner

प्रत्यक्ष करों की वापसी कर दी जाती है।

2. आयातों की क्रय हेतु प्रदान की जाने वाली इस सहायता। नीति को कैश कम्पेन्सेटरी नामक योजना से भी सुदृढ़ किया गया है।

3. निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों और निर्यातोन्मुख इकाईयों की स्थापना की गयी।

4. स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों जिन्हें निर्यात प्रक्रिया जोन भी कहा जाता है में अवस्थापनागत सुविधाएँ और वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की गयी।

5. पैकेजिंग कार्य को उन्नत बनाने उसके लिए सम्यक कच्चा माल खरीदने और उपयुक्त प्रौद्योगिकी हेतु 1911 में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मुम्बई की स्थापना की गयी।

6. विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 20 निर्यात परिषदें कार्यरत हैं। ये विशिष्ट वस्तुओं या समूहों के लिए कार्य करती हैं।

7. कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए 1986 में एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी की स्थापना की गयी।

8. सामुदायिक खाद्य उद्योगों और उससे सम्बंध निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 1972 में मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी को कोच्चीन की स्थापना की गयी।

9. 1991 से व्यापार नीति में परिवर्तन के आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप व्यापार नीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं।

1. नकद मुआवजा सहायता को समाप्त कर दिया गया है।

2. आयात की कार्यप्रणाली को सरल किया गया है आयातों के लिए अब केवल दो लाईसेंस हैं अग्रिम लाईसेंस और विशेष आयात लाईसेंस शेष लाईसेंस को समाप्त कर दिया गया है।

3. अग्रिम लाईसेंस प्रणाली को मजबूत बनाया गया है नयी इकाईयों तथा विस्तार अधीन इकाईयों को पूँजीगत तथा अन्य आयातों के लिए लाईसेंस प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। नकारात्मक सूची को लगातार छोटा किया जा रहा है।

4. निर्यात गृहों तथा व्यापार गृहों को कई मदों में आयात की अनुमति दी गयी है। 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के साथ व्यापार गृहों की स्थापना को भी अनुमति दी गयी है।

5. सीमा शुल्कों में भारी कटौती की गयी है।

6. केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात और निर्यात की जाने वाली

Scanned by CamScanner

वस्तुओं की संख्या को बहुत घटा दिया गया है। इसमें अब केवल आठ वस्तुएँ शामिल हैं पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खाद, तेल, अनाज आदि शामिल हैं
निर्यात अनुरूप इकाईयों तथा निर्यात प्रोसेसिंग के क्षेत्र को और अधिक सुविधा प्रदान की गयी हैं।

इस प्रकार भारत सरकार आयात - निर्यात को व्यापार नीति का अंग मानते हुए बहुत तरह के प्रावधानों को दूर की गयी है।

Scanned by CamScanner